

पटना में दिनांक-17 जून, 2014 मंगलवार को अपराह्न 05:00 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :-

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

- | | | | |
|----|--|----|----------|
| 1. | बिहार राज्य खाद्य आयोग, पटना के अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन/भत्ते एवं सेवा शर्तें आदि का निर्धारण। | 1. | स्वीकृत। |
|----|--|----|----------|

गृह विभाग

(कारा एवं सुधार सेवाएँ)

- | | | | |
|----|---|----|----------|
| 2. | बिहार कारा सेवा नियमावली 1953 को निरसित करते हुए बिहार कारा सेवा नियमावली 2014 के गठन की स्वीकृति के संबंध में। | 2. | स्वीकृत। |
|----|---|----|----------|

गृह विभाग

(कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय)

- | | | | |
|----|--|----|----------|
| 3. | बिहार राज्य के काराओं में कक्षपाल के पदों पर भर्ती एवं सेवा शर्तों के विनियमन हेतु "बिहार कक्षपाल संवर्ग नियमावली-2014" के गठन की स्वीकृति के संबंध में। | 3. | स्वीकृत। |
|----|--|----|----------|

समाज कल्याण विभाग

- | | | | |
|----|---|----|----------|
| 4. | मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के कार्यान्वयन हेतु राशि का निवेश यू०टी०आई० के स्थान पर आई०डी० बी०आई० बैंक एवं यूको बैंक द्वारा किये जाने के संबंध में। | 4. | स्वीकृत। |
|----|---|----|----------|

सामान्य प्रशासन विभाग

- | | | | |
|----|--|----|----------|
| 5. | बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग के पदाधिकारियों को अपर समाहर्ता कोटि, पे-बैंड ₹ 15,600-39,100/-, ग्रेड पे ₹ 7,600/- से संयुक्त सचिव के पद, पे-बैंड ₹ 37,400-67,000/-, ग्रेड पे ₹ 8,700/- में प्रोन्नति देने का प्रस्ताव। | 5. | स्वीकृत। |
|----|--|----|----------|

उद्योग विभाग

- | | | | |
|----|---|----|----------|
| 6. | रुग्ण सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए चक्रीय निधि (Revolving Fund) का सृजन एवं कार्यान्वयन के संबंध में। | 6. | स्वीकृत। |
|----|---|----|----------|

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

7. पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत मोतिहारी अंचल के मौजा-लुअठाहाँ, थाना सं०-170, खाता सं०-09, खेसरा सं०-81/01, रकबा-0.50 एकड़ गैरमजरूआ मालिक भूमि जो समाहरणालय परिसर हेतु पूर्व में अर्जित है, को भारतीय स्टेट बैंक, कचहरी शाखा के भवन निर्माण के निमित्त 79,50,000 (उन्नासी लाख पचास हजार) रूपया सलामी एवं 3,97,000 (तीन लाख सनतानवे हजार) रूपया वार्षिक लगान अलावे सेस के भुगतान पर 30 वर्षों के नवीकरण विकल्प के साथ लीज पर बन्दोबस्ती।

7. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

8. नालंदा जिलान्तर्गत वेन प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय के भवन निर्माण हेतु पूर्व से 2.00 एकड़ भूमि के हस्तान्तरण संबंधी निर्गत राज्यादेश ज्ञापांक-108 (6) रा०, दिनांक-25.01.2008 को रद्द करते हुए उक्त उद्देश्य हेतु वेन अंचल के मौजा-वेन, थाना नं०-386, खाता सं०-683 एवं 684, खेसरा सं० क्रमशः 875 एवं 874, रकबा क्रमशः 2.1334 एकड़ एवं 2.8670 एकड़ कुल रकबा-5.0004 एकड़ गैर मजरूआ मालिक/गैर मजरूआ आम किस्म तालाब भूमि ग्रामीण विकास विभाग, बिहार को निःशुल्क स्थायी अंतर्विभागीय हस्तान्तरण के संबंध में।

8. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

9. गया जिलान्तर्गत चन्दौती नगर अंचल के मौजा-आलमगीरपुर, थाना सं०-07, खाता सं०-2801 आर०एस० खेसरा नं०-1812, 14653 म्यूनिसपल, रकबा-5.69 एकड़ कैसरे हिन्द (भवन एवं सहन परती) भूमि हरिहर सुब्रहमनियम स्टेडियम, गया हेतु कला संस्कृति एवं युवा विभाग को निःशुल्क अन्तर्विभागीय स्थायी हस्तान्तरण।

9. स्वीकृत।

वाणिज्य-कर विभाग

10. वाणिज्य-कर विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों में वर्ष 1979-80 एवं 81 में प्रमंडलीय वाणिज्य-कर संयुक्त आयुक्तों द्वारा वर्ग-3 एवं वर्ग-4 के पद पर नियुक्त किये गये 351 कर्मियों में से 80 कर्मियों की सेवा को नियमित करने का प्रस्ताव।

10. स्वीकृत।

वाणिज्य-कर विभाग

11. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित न्यायनिर्णय के आलोक में बिहार वित्त सेवा के मूल कोटि वाणिज्य-कर पदाधिकारी का एक अधिसंख्य (Supernumerary) पद का सृजन।

11. स्वीकृत।

वित्त विभाग

12. चिकित्सा के प्रयोजन से की गयी यात्रा के व्यय की प्रतिपूर्ति तथा इस संदर्भ में बिहार यात्रा भत्ता नियमावली-1949 के नियम 131 एवं 135 को विलोपित करने, नियम 130 के वर्तमान प्रावधान को विलोपित करते हुए नये प्रावधान को प्रतिष्ठापित करने एवं नियम 130 से संदर्भित वित्त विभाग के परिपत्र 5449, दिनांक-24.04.1960 को विलोपित करने के संबंध में।
12. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

13. माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील संख्या-516/2013 में पारित न्यायादेश तथा इससे उदभूत अवमाननावाद संख्या-262/13 विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षकेत्तर कर्मचारी महासंघ बनाम अशोक कुमार सिन्हा में विभिन्न तिथियों को पारित न्यायादेशों के अनुपालन की बाध्यता के मद्देनजर विश्वविद्यालय तथा अंगीभूत महाविद्यालयों के सहायक के स्वीकृत पदों पर विधिवत रूप से नियुक्त होकर नियमित रूप से कार्यरत कर्मियों को ₹ 5500-9000/-का वेतनमान दिनांक-01.04.1997 के प्रभाव से स्वीकृत किये जाने के संबंध में।
13. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

14. राज्य के प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में नियोजित एवं कार्यरत 66,104 नगर शिक्षक, प्रखण्ड शिक्षक एवं पंचायत शिक्षक को वित्तीय वर्ष 2014-15 के वेतन भुगतान के लिए नियोजन इकाईयों को सहायक अनुदान मद में कुल 7,11,50,40,000/- (सात अरब ग्यारह करोड़ पचास लाख चालीस हजार) रुपये की स्वीकृति एवं 2,37,14,42,832/- (दो अरब सैंतीस करोड़ चौदह लाख बयालीस हजार आठ सौ बत्तीस) रुपये की विमुक्ति के संबंध में।
14. स्वीकृत।

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

15. अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के लिए अतिरिक्त 64 पदों एवं अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय के लिए अतिरिक्त 19 पदों के सृजन के संबंध में।
15. स्वीकृत।

उद्योग विभाग

16. दैनिक वेतनभोगी श्री रामकरण यादव को चालक के पद पर नियुक्ति हेतु सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प सं०-639 दिनांक-16.03.2006 की कंडिका 2(2)(i) को शिथिल करने के संबंध में।
16. स्वीकृत।

पर्यावरण एवं वन विभाग

17. नवगठित बिहार वानिकी विकास निगम लि० (Bihar Forestry Development Corporation Limited) के कार्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यों के संचालन हेतु 52 (बावन) पदों के सृजन एवं उनपर नियुक्तों के प्रस्ताव में पूर्वानुमति। 17. स्वीकृत।

मवन निर्माण विभाग

18. श्री कृष्ण स्मारक विकास समिति द्वारा संचालित श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल एवं माथा मैदान के आवंटन एवं रख-रखाव हेतु सोसाइटी का गठन एवं आदर्श उपविधि (बायलॉज) तथा उत्तम संगम-ड्रेपन के अनुमोदन के संबंध में। 18. स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

19. श्री अंचल द्विवेदी न्यायिक दंडाधिकारी-सह-अपर पुलिसिफ छपरा का Probation समाप्त करने (termination of probation) तथा उन्हें सेवा से बर्खास्त (Discharge from service) करने के संबंध में। 19. स्वीकृत।

योजना एवं विकास विभाग

20. बिहार स्थानीय क्षेत्र विकास अभिकरण के गठन की स्वीकृति के संबंध में। 20. स्वीकृत।

श्रम संसाधन विभाग

21. "बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना नियमावली-2008" के "प्रवासी मजदूर" की परिभाषा में संशोधन। 21. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

22. योजनाओं के त्वरित कार्यान्वयन हेतु बिहार लोक निर्माण संहिता के नियम 159 "क" में अतिरिक्त उप कंडिका (iii) के प्रावधान में संशोधन किए जाने के संबंध में। 22. स्वीकृत।